भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र / Nuclear Fuel Complex
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, अनुभाग / CHSS Section

ईसीआईएल/ECIL POST
हैदराबाद Hyderabad-500062
तेलंगाना राज्य Telangana State

सं Ref: NFC/CHSS/01/2022/ 34 दिनांक Date: 28-09-2022

परिपत्र CIRCULAR

विषय : चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे निर्धारित समय में प्रस्तुत करने के संबंध में।
Subject: Submission of Medical reimbursement claims within the stipulated time limit – Reg.

*****

सीएचएसएस के लाभार्थी विभिन्न दावे जैसे आपाती चिकित्सा के अंतर्गत खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति, आयुर्वेदिक/होम्योपैथी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति पैनलबद्ध अस्पतालों आदि में अनुपलब्धता के कारण औषधियों के क्रय हेतु खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति सीएचएसएस अनुभाग में प्रस्तुत करते हैं। इन्हें प्राप्त करने पर, सीएचएसएस अनुभाग उक्त दावों की जांच करता है और प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा प्रभाग /चिकित्सा लेखा अनुभाग को दावे प्रेषित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करता है। CHSS beneficiaries submit various medical claims viz., reimbursement of amount incurred under Medical Emergency, reimbursement of Ayurvedic / Homeopathy medicines, reimbursement of amount incurred towards purchase of medicines due to non availability in empanelled Hospitals etc., in CHSS Section. On its receipt, CHSS Section scrutinizes the said claims and obtain approval of the Competent Authority before forwarding them to Medical Division / Medical Accounts Section for reimbursement.

2. तथापि, देर से, यह देखा गया है कि सीएचएसएस के कई लाभार्थी सीएचएसएस के नियम के अनुसार निर्धारित समय में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं जिसके कारण 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने या आवेदक को वापस लौटाने, यदि दावे 90 दिनों के बाद प्राप्त होते हैं तो इनकी माफी के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि कई आवेदक प्रतिपूर्ति दावे के साथ अपेक्षित दस्तावेज़ जैसे सीएचएसएस कार्ड की प्रति, नुस्खे की प्रति, औषधि बिल आदि को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। However, off late, it is noticed that many of the CHSS beneficiaries are not submitting the applications within stipulated time as per the CHSS Rules, because of which the same are put up to Competent Authority for condonation, if submitted within 90 days or return back to the applicant, if the claims are received beyond 90 days. Moreover, it is also noticed that many of the applicants are not enclosing the requisite documents along with reimbursement claim viz., copy of CHSS card, Copy of Prescription, Pharmacy bills in original duly signed etc.

3. यहां यह भी प्रासंगिक है कि सीएचएसएस मैनुअल के नियम 15.9 के अनुसार "उपचार के प्रारंभ की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया जाए। यह सीमा में छूट दावेदार के नियंत्रण के परे, विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वार 90 दिनों तक दी जा सकती है।" It is pertinent to mention here that, in accordance with Rule 15.9 of CHSS manual, "*claim for reimbursement shall be preferred within 30 days from the date of commencement of treatment. This limit may be relaxed to 90 days by the Competent Authority in special circumstance, beyond the control of the claimant*".

Cont..2..

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सीएचएसएस लाभार्थियों से अनुरोध है कि सभी अपेक्षित दस्तावेज़ों के साथ उपचार प्रारंभ होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे प्रस्तुत करें। विशेष परिस्थितियां जो आवेदक के नियंत्रण के परे है के मामले में, सीएचएसएस लाभार्थी उपयुक्त औचित्यकरण के साथ 90 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करें।

In view of the above, CHSS beneficiaries are requested to kindly submit the claims within 30 days form the date of commencement of treatment along with all the requisite documents. In special circumstances which are beyond the control of the claimant, CHSS beneficiaries shall submit reimbursement claim within 90 days with proper justification.

5. इसे नाईस में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority, NFC.

लक्ष्मी देवी 28/9/22

(यु लक्ष्मी देवी/ U Laxmi Devi)
प्रशासनिक अधिकारी (सीएचएसएस) Administrative Officer-III(CHSS)

सभी संयंत्र/अनुभाग All Plants / Sections
सभी सूचनापट्ट All Notice Boards

प्रतिलिपि Copy to:

मुख्य कार्यपालक, नाईस CE, NFC - सादर सूचनार्थ - for kind information please.
सभी उप मुख्य कार्यपालक/परि.निदे.जेडसी/.पलय/.महा.प्रबं/क्षे.नि,.क्रभनिहैए/उपमहा.प्रबं/.प्रधान/वरि.प्रबं/.प्रबं/.उप प्रबं/.कार्या.प्रभारी/ ACE/DCEs/PD, ZC(P)/GMs/RD, HRPSU/DGMs/Heads/SMs/Mgrs/DMs/OICs
प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग/ (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) ओएचसी ,कोटा व जेडसी/(मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) सीएचसी व सीएचएसएस/(मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी ,नाईस
Head, Medical Division / CMS (OHC) / MS (CHC & CHSS) /CMO/Medical Officer's, NFC
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ,नाईस/CAO, NFC
संयुक्त नियंत्रक (वित्त व लेखा)/JC (F & A), NFC
उप महानिरीक्षक ,पऊवि मुख्यालय/समादेष्टा ,कें.औ.सु.ब/. DIG, DAE Headquarters/Commandant, CISF
महासचिव, नाईस औ.का.संघ/ General Secretary, NFC IWU
अध्यक्ष ,नाईस पर्य.कर्म.संघ/नाईस वैज्ञा.सहा.संघ/ नाईस अधिकारी संघ President, NFCSSA/NFCSAA/ NUFCOA

सूचनार्थ प्रति / Copy also for information to:
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी, पखनि, हैदराबाद / CA & AO, AMDER, Hyderabad
प्रशासनिक अधिकारी, टीआईएफआर, हैदराबाद / Administrative Officer, TIFR, Hyderabad
प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad
प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद / Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
प्राचार्य, एईसीएस-I/II, हैदराबाद / Principal, AECS-I/AECS-II, Hyderabad
प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल,ईसीआईएल कैंपस, हैदराबाद
Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad
आईआईडब्ल्यू, पऊवि, हैदराबाद/ IIW, DAE, Hyderabad
प्रबन्धक-क्रय, आरपीयू) एम (शहर कार्यालय, नाईस परिसर, हैदराबाद
Manager-Purchase, RPU (M) City Office, NFC Premises, Hyderabad
Coordinator, Retired Employees' Association / संगठन कर्मचारी सेवानिवृत, समन्वयक